



भारत में हरति नरिवाचन

प्रलिमिंस के लयि:

भारत का नरिवाचन आयोग (ECI), गैर-बायोडगिरेडेबल सामगरी, हरति नरिवाचन, कार्बन फूटप्रटि, एकल-उपयोग प्लास्टिक सामगरी, बायोडगिरेडेबल सामगरी

मेन्स के लयि:

हरति नरिवाचन का महत्त्व और भारत के कार्बन फूटप्रटि को कम करने के संबंघ में इसकी उपयोगिता ।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [भारतीय नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) ने चुनावों में [गैर-बायोडगिरेडेबल सामगरी](#) के उपयोग से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों पर अपनी चिंता व्यक्त की ।

- यह वर्ष 1999 से पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनाव अभियान के दौरान चुनाव सामगरी की तैयारी के लिये प्लास्टिक/पॉलिथिन के उपयोग से बचने का आग्रह करता रहा है ।

हरति चुनाव की ओर बदलाव की आवश्यकता क्यो है?

- पारंपरिक चुनावों के पर्यावरणीय फूटप्रटि: पारंपरिक चुनाव प्रक्रियाओं के वभिन्न कारकों के कारण महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय परणाम होते हैं:
 - अभियान उडानें: चुनाव के दौरान अभियान उडानों से होने वाला उत्सर्जन समग्र [कार्बन फूटप्रटि](#) में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है ।
 - उदाहरण के लयि: वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में, केवल एक उम्मीदवार की अभियान उडानों से उत्सर्जन 500 अमेरिकियों के वार्षिक कार्बन फूटप्रटि के बराबर था ।
 - नरिवनीकरण और अन्य मुद्दे: मतपत्रों, अभियान साहित्य और प्रशासनिक दस्तावेजों के लयि कागज-आधारित सामग्रियों पर नरिभरता से नरिवनीकरण तथा ऊर्जा-गहन उत्पादन प्रक्रियाएँ होती हैं ।
 - ऊर्जा की बचत: लाउडस्पीकर, प्रकाश व्यवस्था और अन्य ऊर्जा खपत वाले उपकरणों के साथ बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियाँ ऊर्जा की खपत एवं उत्सर्जन में योगदान करती हैं ।
 - अपशषिट उत्पादन: अभियानों के दौरान उपयोग कयि जाने वाले PVC फ्लेक्स बैनर, होर्डगिंस और डसिपोजेबल आइटम अपशषिट उत्पादन व पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाते हैं ।

कार्बन फूटप्रटि क्या है?

- [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, कार्बन फूटप्रटि जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न [कार्बन डाइऑक्साइड \(CO2\)](#) उत्सर्जन पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करता है, जसि आमतौर पर [मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन](#) में मापा जाता है ।
- इसका आकलन वार्षिक [CO2 उत्सर्जन](#) के संदर्भ में कयिा जाता है, एक मीट्रिक जसिमें अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य CO2-समतुल्य गैसों शामिल हो सकती हैं ।
- यह एक व्यापक उपाय हो सकता है या कसिी व्यक्ति, परिवार, घटना, संगठन या यहाँ तक कि पूरे देश के कार्यों पर लागू कयिा जा सकता है ।

हरति नरिवाचन की अवधारणा क्या है?

- **हरति नरिवाचन:** हरति नरिवाचन ऐसी प्रथाएँ हैं जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। इनमें पुनर्चक्रति सामग्रियों का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बढ़ावा देना और उम्मीदवारों को स्थायी अभियान प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहति करना जैसे उपाय शामिल हैं।
- **हरति चुनाव का उद्देश्य नमिनलखिति के माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है:**
 - **पर्यावरण-मतिर अभियान सामग्री:** उम्मीदवार और पार्टियों पुनर्नवीनीकरण कागज, बायोडिगिरेडेबल बैनर तथा पुनः प्रयोज्य सामग्री जैसे टिकाऊ विकल्प अपना सकते हैं।
 - **ऊर्जा की खपत कम करना:** रैलियों के दौरान ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली और परविहन का विकल्प चुनने से कार्बन पदचहिन को कम करने में मदद मलि सकती है।
 - **डजिटल अभियान को बढ़ावा देना:** प्रचार के लिये डजिटल प्लेटफॉर्म (वेबसाइट, सोशल मीडिया और ईमेल) का लाभ उठाने से कागज का उपयोग और ऊर्जा की खपत कम हो जाती है।

पर्यावरण मतिर (Eco friendly) चुनावी पहल के उदाहरण क्या हैं?

- **भारत के संदर्भ में उदाहरण:**
 - **केरल का हरति अभियान:**
 - वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान, **केरल राज्य चुनाव आयोग** ने राजनीतिक दलों से अपने अभियानों के दौरान **एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री** से बचने का आग्रह करके एक सक्रिय कदम उठाया।
 - **एकल-उपयोग प्लास्टिक** एक डिसिपोजेबल सामग्री है जिससे फेंकने या पुनर्नवीनीकरण करने से पहले केवल एक बार उपयोग कया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग, पानी की बोतलें, सोडा की बोतलें, स्ट्रॉ, प्लास्टिक प्लेटें, कप, अधकिंश खाद्य पैकेजिंग और कॉफी स्टिरर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री के स्रोत हैं।
 - इसके बाद, **केरल उच्च न्यायालय** ने **चुनाव प्रचार में फ्लेक्स और गैर-बायोडिगिरेडेबल सामग्रियों पर प्रतिबंध** लगा दिया।
 - एक विकल्प के रूप में, दीवार भित्तिचित्र और कागज के पोस्टर उभरे, जो अधकि टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नकियों ने पर्यावरण-मतिर प्रथाओं पर बल देते हुए हरति नरिवाचन सुनिश्चिति करने के लिये त्रिवनंतपुरम में जिला प्रशासन के साथ सहयोग कया। जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये चुनाव कार्यकर्त्ताओं के लिये गाँवों में प्रशिक्षण सत्र भी आयोजति कये गए।
 - **गोवा के कारीगरों द्वारा तैयार कये गए पर्यावरण-मतिर बूथ**
 - वर्ष 2022 में, **गोवा राज्य जैवविधिता बोर्ड** ने वधानसभा चुनावों के लिये पर्यावरण-मतिर चुनाव बूथ शुरू करके एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।
 - इन बूथों का निर्माण सत्तारी और पोंडा के स्थानीय पारंपरिक कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई **बायोडिगिरेडेबल सामग्रियों** का उपयोग करके कया गया था।
 - ये सामग्रियाँ न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ये स्थानीय कारीगरों की भी मदद करती हैं।
 - **श्रीलंका का कार्बन-सेंसिटिवि अभियान**
 - वर्ष 2019 में श्रीलंका की पोटुजना पेरामुना (SLPP) पार्टी ने विश्व का पहला कार्बन-सेंसिटिवि पर्यावरण अनुकूल चुनाव अभियान शुरू कया।
 - उन्होंने वाहनों और बजिली के उपयोग सहति अभियान गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन को सावधानीपूर्वक मापा।
 - इन उत्सर्जनों की भरपाई करने के लिये उन्होंने प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण पहल में जनता को शामिल कया।
 - इस अभिनव दृष्टिकोण ने न केवल अभियान के कार्बन पदचहिन को कम कया बल्कि विन आवरण के महत्त्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।
 - **सीमापारीय उदाहरण:**
 - **एस्टोनिया की डजिटल वोटिंग क्रांति**
 - एस्टोनिया ने पारंपरिक कागज-आधारति वधि के विकल्प के रूप में डजिटल वोटिंग का प्रयोग कया।
 - इस दृष्टिकोण ने पर्यावरणीय प्रभाव को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करते हुए मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहति कया।
 - नरिवाचन के दौरान सुदृढ़ सुरक्षा उपायों को कार्यान्वति करके, एस्टोनिया ने प्रदर्शति कया कि डजिटल वोटिंग पर्यावरण-अनुकूल और मतदाता-अनुकूल दोनों हो सकती है। इस दृष्टिकोण की सफलता से पता चलता है कि अन्य लोकतंत्र देश भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।
- ये उदाहरण दर्शाते हैं कि नरिवाचन प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राथमकिता देना अन्य देशों के लिये एक उदाहरण स्थापति कर सकता है और अधकि संधारणीय भवषिय में योगदान दे सकता है।

हरति नरिवाचन के अंगीकरण से संबंधति क्या चुनौतियाँ हैं?

- **नई प्रौद्योगकियों तक पहुँच और अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण:** सभी मतदाताओं की नई प्रौद्योगकियों तक उचति पहुँच सुनिश्चिति करना महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि इसके लिये नरिवाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और मतदाताओं को नई प्रणालियों के संबंध में शक्ति करने के संदर्भ में पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है। इससे संबंधति कुछ वशिष्ट चुनौतियाँ नमिनलखिति हैं:
 - **प्रशिक्षण और अभ्यास:** नरिवाचन अधिकारियों को नई तकनीक के संचालन और समस्या निवारण के संबंध में कुशल होने की आवश्यकता है। संबंध जानकारी के अंतराल को पाटने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं।
 - **न्यायसंगत पहुँच:** दूरवर्ती अथवा वंचति क्षेत्रों के मतदाताओं सहति सभी मतदाताओं तक प्रौद्योगकि की पहुँच और उपयोग सुनिश्चिति करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इंटरनेट कनेक्टविटी और डजिटल साक्षरता में असमानताओं को दूर करना महत्त्वपूर्ण है।

- **वित्तीय बाधाएँ और अग्रिमि लागत:** पर्यावरण-अनुकूल सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी को नयोजित करने में अमूमन महत्त्वपूर्ण अग्रिमि लागत आती है। सरकारों, विशेषकर सीमति बजट वाली सरकारों को वित्तीय बाधाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
 - **बजट आवंटन:** अन्य आवश्यक सेवाओं को संतुलित करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये धन आवंटित करना एक संवेदनशील कार्य है। बजट सीमाओं के भीतर आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - **दीर्घकालिक बचत:** हालाँकि प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है, दीर्घकालिक लाभों (जैसे- कागज़ का कम उपयोग और सुव्यवस्थित प्रक्रिया) पर जोर देने से नविश को उचित रूप देने में मदद मिल सकती है।
- **सांस्कृतिक जड़ता और मतदाता व्यवहार:** परंपरागत रूप से, मतदान को मतदान केंद्रों पर भौतिक उपस्थिति से जोड़ा गया है। सफल आधुनिकीकरण के लिये सांस्कृतिक जड़ता पर काबू पाना और मतदाता व्यवहार में बदलाव आवश्यक है।
 - **शारीरिक मतदान का अनुमानित महत्त्व:** कई मतदाता शारीरिक रूप से मतदान करने जाने को एक पवित्ति नागरिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं। उन्हें यह समझाना कि डिजिटल विकल्प भी समान रूप से मान्य हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - **नई प्रणालियों में विश्वास:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणालियों में विश्वास को हासिल करना महत्त्वपूर्ण है। सुरक्षा, गोपनीयता और संभावित हेरफेर के बारे में जनता के संदेह को पारदर्शिता तथा मज़बूत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और समझौते:** ऑनलाइन वोटिंग या ब्लॉकचेन-आधारित सिस्टम जैसे नए दृष्टिकोण पेश करने से मत सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं:
 - **साइबर सुरक्षा ज़ोखमि:** यह सुनिश्चित करना कि मतदान प्रणालियाँ साइबर खतरों से सुरक्षित हैं, सर्वोपरि है। कोई भी समझौता जनता के विश्वास और चुनाव की अखंडता को कमज़ोर कर सकता है।
 - **सुरक्षा और पहुँच को संतुलित करना:** मज़बूत सुरक्षा उपायों और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के बीच सही संतुलन बनाना एक चुनौती है। कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उपयोग में आसानी में बाधा नहीं आनी चाहिये।

आगे की राह

- इस हरति परिवर्तन में राजनीतिक दलों, नरिवाचन आयोग, सरकार, मतदाताओं, मीडिया और नागरिक समाज जैसे सभी हतिधारकों को शामिल किया जाना चाहिये।
- हरति परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये शीर्ष स्तर के नरिदेशों को ज़मीनी स्तर की पहल के साथ एकीकृत करना अनविर्य है।
- राजनीतिक दलों को इसका नेतृत्व करना चाहिये। यह यात्रा पर्यावरण-अनुकूल नरिवाचन प्रथाओं को अनविर्य करने वाला कानून बनाकर शुरू हो सकती है, जिसमें नरिवाचन आयोग उन्हें आदर्श आचार संहिता में शामिल करेगा।
- इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म या घर-घर जाकर प्रचार करना (ऊर्जा-गहन सार्वजनिक रैलियों को कम करना) और नरिवाचन कार्य के लिये सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- मतदान केंद्रों के लिये प्लास्टिक और कागज़-आधारित सामग्रियों के प्रतस्थापन को प्राकृतिक वस्त्र, पुनर्नवीनीकृत कागज़ और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक जैसे टिकाऊ स्थानीय विकल्पों के साथ प्रोत्साहित करने से अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता मिलेगी तथा स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिलेगा।
- नरिवाचन आयोग डिजिटल वोटिंग पर जोर दे सकता है, भले ही इसके लिये अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण की आवश्यकता हो।
- डिजिटल चुनावी प्रक्रिया में सभी मतदाताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार को मतदाताओं को शक्ति और समर्थन करना चाहिये तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न 1. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. भारत के संवधान के अनुसा, कोई भी ऐसा व्यक्तजिो मतदान के लिये योग्य है, कसिी राज्य में छह माह हेतु मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब कि वह उस राज्य के वधिनमंडल का सदस्य नहीं है।
2. लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्तजिो दांडकि अपराध के अंतरगत दोषी पाया गया है और जसि पाँच वर्ष के लिये कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने हेतु स्थायी तौर पर नरिरह हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिया है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविाद नपिटाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न.1 'लोकसभा और राज्य वधानसभाओं के एक ही साथ चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमति कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी ।' चर्चा कीजिये । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/green-elections-in-india>

